

R.M.M. Law College Saharwa
Lecturer - Naresbji Anand
L.L.B. Part - IInd
Paper - VIth
Environmental Law

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर
अधिनियम - 1977

जल उपकर अधिनियम
1977 का मुख्य उद्देश्य केन्द्र और राज्य
जोड़ते हैं आर्थिक संसाधन जुटाना है।
1 अप्रैल 1978 को लागू होने के बाद 1991
में एक्ट संख्या 53/1991 द्वारा संशोधित
किया गया।

परिभाषाएँ :-

स्थानीय प्राधिकारी - धारा (8)
को के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के भावार्थ
की परिभाषा दी गयी है। स्थानीय प्राधिकारी
से तात्पर्य - (i) नगर निगम (ii) नगर परिषद
या (iii) इतनी परिषद या कोई अन्य निकाय
जो विद्यमान जिसके द्वारा या जिसके अधीन वह
स्थापित है (जल आपूर्ति का कर्तव्य अधिरोपित
करता है।

धारा - 2 (ख) के अंतर्गत विद्यमान
शब्द की परिभाषा दी गई है।

धारा - 2 (ग) में विनिर्दिष्ट उद्योग
की परिभाषा दी गयी है। विनिर्दिष्ट उद्योग
से तात्पर्य ऐसे उद्योग से है जो अधिनियम
की परिभाषा - 1 में दिये गये हैं। परिषद - 1

(2)

में निम्नलिखित उद्योग शामिल हैं— (i) लौह
आइर शोपिंग उद्योग (ii) लौह लोड वाहक शोपिंग
उद्योग (iii) स्टील उद्योग (iv) कच्ची आइर शोपिंग
(v) इलेक्ट्रिकल उद्योग (vi) पेट्रोल रासायनिक उद्योग
(vii) रासायनिक उद्योग (viii) मिट्टी के बर्तन
निर्माण करने वाले उद्योग (ix) सीमेंट उद्योग
(x) सूती वस्त्र उद्योग (xi) कागज उद्योग (xii)
कच्चा कोयला सहित कोयला उद्योग
(xiii) वायु उपायक उद्योग (xiv) पत्र और
बतखाने उत्पाद निर्माण उद्योग (xv) अभियांत्रिकी
उद्योग।

व्याप्त यह है कि सक्षम किया गया है कि
ऐसे शाखा और आकारों में इस अधिनियम
के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया है परंतु
उत्ते परिसरों में नहीं किया गया है, उनका
वही अर्थ होगा जो अन्य जल अधिनियम
1974 के अंतर्गत विधायित्व किया गया है।

जल उपकर लगाना और वसूली करना - व्याप्त-363
में उपबन्धित किया गया है कि जल अधिनियम
1974 के उद्देश्यों के लिए उपकर लगाना और
वसूला जाएगा।

उपकर विनिर्दिष्ट वाले प्रत्येक
अधिकारी और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा
दिया होगा जिसकी गणना ऐसे अधिकारी या
ऐसे प्राधिकारी द्वारा जल उपभाग के आधारे
पर की जायेगी जो केंद्रीय सरकार राज्य
में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट होगी।

जहाँ कोई विनिर्दिष्ट उद्योग
या स्थानीय प्राधिकारी व्यर्थ उद्योगों
की पूर्ति के लिए जल का उपभोग करने
के कारण उपकर होने के दायित्ववाहीत है और

(3)

जल अधिनियम - 1974 की धारा-35 की अंतर्गत या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियोजित मानक का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उपकर की तरह वह लोगो को समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जहाँ कोई स्थानीय प्राधिकारी किसी निनिर्दिष्ट की गलत नाले व्यक्ति या किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकारी की जल की दूषित करता है तो ऐसा व्यक्ति या अन्य स्थानीय प्राधिकारी उपकर देने के दायित्वारी होगा।

उपकर एक निरंतर प्रकार का कर होता है इसका प्रयोग आयरलैण्ड में किया जाता है। इंग्लैंड में इसके लिए दर प्रयुक्त होता है। इसका मूल्य ऐसे कर से है जो विभिन्न प्रशासकीय खर्चों के लिए लगाए जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर, सड़क उपकर आदि।

मापक :-

उपरोक्त नियमों पर जल की मात्रा मापने और अंकित करने के उद्देश्य से निनिर्दिष्ट उद्योग-उत्पादने वाला कोई व्यक्ति और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी विहित स्थान पर और विहित मानक का मापक लगाएगा जब तक अन्वया साबित न कर दिया जाय तब तक यह उपस्थापना की जायेगी कि मापक द्वारा दर्शित मात्रा को ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया गया है।

जहाँ कोई व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी अपेक्षित मानक लगाने में असफल होता है वहाँ केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी को सूचना देने के बाद मापक लगाना देगी और

(4)

भाषक तथा उसके लगाने का खर्च ऐसे व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी से केवल सरकार द्वारा इतना अनुदान व्यय की रीति से भुला जायेगा।

विवरणों जमा करना-

प्रत्येक व्यक्ति जो निनिर्दिष्ट उद्योग चला रहा है और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी जो उपकर देने के दायित्व धीत है, वह ऐसा विवरणों ऐसे प्रारूप में ऐसे समय-समय पर ऐसे निश्चित सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के पास जमा करेगा जो विहित किया जायेगा।

विवरणों जमा करना-

प्रत्येक व्यक्ति जो निनिर्दिष्ट उद्योग चला रहा है। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी जो उपकर देने के दायित्व धीत है, वह ऐसा विवरणों ऐसे प्रारूप में, ऐसे समय-समय पर ऐसे निश्चित सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के पास जमा करेगा जो विहित किया जायेगा।

उपकर आकलन-

प्राधिकारी जिसके पास विवरणों जमा की गयी हैं। विवरणों की सूचनाओं की सत्यता की जांच पड़ताल कर निनिर्दिष्ट उद्योग चलाते वाले अधिकांश स्थानीय प्राधिकारी द्वारा देना उपकर की दरों का आकलन करेगा।

